कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813

पत्रांक : 01/यो0बजट-10/2016-1462 दिनांक : 25.11.2016

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह/ गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह/ रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़/ धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद/ बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो/ देवघर वन प्रमण्डल, देवघर/ गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका/ विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, दुमका/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा/ राँची वन प्रमण्डल, राँची

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2022-23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत बाँस गैबियन वृक्षारोपण, रैखिक वृक्षारोपण एवं गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य हेतु कुल **रू0 1099.343 लाख (दस करोड़ निनान्वे लाख चौंतीस हजार तीन सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-21/2016- 32/स्वी0 व0प0 दिनांक 07.09..2016 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 4/यो0ब0-21/2016- 63/आ0 व0प0 दिनांक 08.09.2016 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 102 समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष-59-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 1099.343 लाख (दस करोड़ निनान्वे लाख चौंतीस हजार तीन सौ रूपये) मात्र** का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19P240601102590103	716.067
आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601102590323	383.276
कुल :-		**1099.343**

F:\DEVELOPMENT\2016-17\Allotment\OA\RSP\Advance work (6)\RSP Advance work (2016-17)-2.doc

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत्यादेश के **अनुलग्नक–1 (क) से (ग)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2 (क) से (ग)**, स्थल विवरणी **अनुलग्नक–3 (क) से (ग)** एवं ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–4** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या– पी0 19P240601102590103 तथा पी0 19P240601102590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं सबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रसार वानिकी/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु प्रेषित करेंगे।

5. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जयेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथ ततद् संबंधी पत्र–परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम–300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

7. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा स्थल विशेष योजना तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करते हुए इस कार्यालय में समर्पित करने के उपरान्त ही उप आवंटित राशि व्यय की जाय।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

10. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप किया जायेगा तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदरों

का भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

11. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसा के अनुसार की जायेगी।

13. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. बाँस गैबियन में कम से कम पाँच फीट औसत ऊँचाई के काष्ठ, फल एवं शोभदार प्रजाति के पौधें वृक्षों का रोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण योजना के सामपन वर्ष में औसत 8 फीट सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के अन्त में औसत 11 फीट एवं चतुर्थ वर्ष (द्वितीय सम्पोषण कार्य) में 15 फीट औसत ऊँचाई प्राप्त किया जायेगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में सड़क किनारे किये जाने वाले वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य से संबंधित स्थलों का एन0ओ0सी0 प्राप्त कर हीं कार्य सम्पादित किया जाय।

17. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजनान्तर्गत वृक्षारोपण हेतु एक ही स्थल/ पथ आदि पर पूर्व स्वीकृत योजना द्वारा भी वृक्षारोपण आदि का कार्य न हो।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,
28/11/2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

F:\DEVELOPMENT\2016-17\Allotment\OA\RSP\Advance work (6)\RSP Advance work (2016-17)-2.doc

का भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

11. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसा के अनुसार की जायेगी।

13. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. बाँस गैबियन में कम से कम पाँच फीट औसत ऊँचाई के काष्ठ, फल एवं शोभदार प्रजाति के पौधें वृक्षों का रोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण योजना के सामपन वर्ष में औसत 8 फीट सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के अन्त में औसत 11 फीट एवं चतुर्थ वर्ष (द्वितीय सम्पोषण कार्य) में 15 फीट औसत ऊँचाई प्राप्त किया जायेगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में सड़क किनारे किये जाने वाले वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य से संबंधित स्थलों का एन0ओ0सी0 प्राप्त कर हीं कार्य सम्पादित किया जाय।

17. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजनान्तर्गत वृक्षारोपण हेतु एक ही स्थल/ पथ आदि पर पूर्व स्वीकृत योजना द्वारा भी वृक्षारोपण आदि का कार्य न हो।

<u>अनुलग्नक :- यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

F:\DEVELOPMENT\2016-17\Allotment\OA\RSP\Advance work (6)\RSP Advance work (2016-17)-2.doc

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–10/2016–1462** दिनांक– **25.11.2016**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ उत्तरी छोटानागपुर, पलामू एवं हजारीबाग/ संथाल परगना, दुमका/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्र–राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>**अनुलग्नक :– यथोक्त**</u> ।

25/11/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

F:\DEVELOPMENT\2016-17\Allotment\OA\RSP\Advance work (6)\RSP Advance work (2016-17)-2.doc

ज्ञापांक– **01 / यो0बजट–10 / 2016–1462** दिनांक– **25.11.2016**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची / उत्तरी छोटानागपुर, पलामू एवं हजारीबाग / संथाल परगना, दुमका / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्र–राँची / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची / एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

ह0 / –

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01 / यो0बजट–10 / 2016– 1462** दिनांक– **25.11.2016**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह / रामगढ़ / धनबाद / बोकारो / देवघर / गोड्डा / हजारीबाग / कोडरमा / लातेहार / डोरण्डा, राँची / जमशेदपुर / चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

25/11/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

F:\DEVELOPMENT\2016-17\Allotment\OA\RSP\Advance work (6)\RSP Advance work (2016-17)-2.doc

अनुलग्नक–1 (क)

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" (पुरानी– पथतट रोपण–सह–शहरी वानिकी) योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का जिला एवं प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : रू0 221.61 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / वन प्रमण्डल का नाम	बाँस गैबियन (संख्या में)	अग्रिम कार्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			458.73	**378.40**	**837.13**
i	ii	iii	vi	v	vi
1	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	5500	25.230	20.812	46.042
2	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	5500	25.230	20.812	46.042
3	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	5500	25.230	20.812	46.042
4	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	5500	25.230	20.812	46.042
5	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	5500	25.230	20.812	46.042
6	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	5500	25.230	20.812	46.042
7	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	4000	18.349	15.136	33.485
8	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग	5500	25.230	20.812	46.042
9	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा	5500	25.230	20.812	46.042
10	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर	6000	27.524	22.704	50.228
11	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	5675	26.033	21.474	47.507
12	विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, दुमका	2000	9.175	7.568	16.743
13	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	7000	32.111	26.488	58.599
14	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	5000	22.937	18.920	41.857
15	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा	4500	20.643	17.028	37.671
	योग :–	**78175**	**358.612**	**295.814**	**654.426**

अनुलग्नक–1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" (पुरानी– पथतट रोपण–सह–शहरी वानिकी) योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत रैखिक वृक्षारोपण का अग्रिम का जिला एवं प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : रू0 221.61 रू0 387.60 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / वन प्रमण्डल का नाम	रैखिक वृक्षारोपण (कि0मी0)	अग्रिम कार्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			409978.50	**350865.20**	**760843.70**
i	ii	iii	vi	v	vi
1	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	10	40.998	35.087	76.084
2	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	10	40.998	35.087	76.084
	योग :–	**20**	**81.996**	**70.173**	**152.169**

F:\DEVELOPMENT\2016-17\Allotment\OA\RSP\Advance work (6)\RSP Advance work (2016-17)-2

अनुलग्नक–1 (ग)

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" (पुरानी– पथतट रोपण–सह–शहरी वानिकी) योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का जिला एवं प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : रू0 221.61 रू0 387.60 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0)	अग्रिम कार्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	vi	v	vii
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	100.00	62.617	3.767	66.384
1	सा0वा0 प्रमण्डल, लातेहार	125.00	77.078	4.708	81.786
2	सा0वा0 प्रमण्डल, देवघर	50.00	31.859	1.883	33.742
3	सा0वा0 प्रमण्डल, दुमका	184.00	103.906	6.931	110.837
	योग :–	459	275.460	17.289	292.749
	सकल योग :–		716.068	383.276	1099.344

25/11/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

F:\DEVELOPMENT\2016-17\Allotment\OA\RSP\Advance work (6)\RSP Advance work (2016-17)-2

अनुलग्नक–2 (क)

कार्य दर तालिका (प्रति गैबियन)

पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस –गैबियन में वृक्षारोपण

1. बाँस–गैबियन का आकारः 6'-6"x2'-6"x2'-6"   2. स्पेसिंग – पंक्ति से पंक्ति की दूरी – 3 मी0

– पौधे से पौधे की दूरी – 8 मी0

क्र0 सं0	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस (प्रति हे0)	मजदूरी, (रू0)	सामग्री प्रति हे0	कुल व्यय (रू0)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2016–17 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 221.61 रू0 प्रति मानव दिवस						
1	**घेरान कार्य**						
क	बाँस का खूँटा –4 अदद (खूँटे की लंबाई 6'–6'') एवं जाफरी हेतु बाँस (कुल 3 बाँस @ 80.00 रू. ; प्रति बाँस) ढुलाई सहित		0.00	0.00	240.00	**240.00**	
ख	जाफरी का निर्माण एवं खूँटों में जाफरी को लगाना		1.00	221.61	0.00	**221.61**	
ग	खूँटों की कोलतार / ब्लैक जापान/ब्लैक पेन्ट से रंगाई		0.20	44.32	6.00	**50.32**	
घ	जाफरी की हरे एवं लाल पेंट से रंगाई		0.30	66.48	90.00	**156.48**	
ड.	गैबियन का खूँटा लगाने हेतु एकरेखन, आवश्यकतानुसार समतलीकरण एवं खूँटा लगाने हेतु 1'x1'x1'-6" आकार के 4 गढो को खोदना तथा खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना		0.20	44.32	0.00	**44.32**	
च	जाफरी सहित खूँटा लगाना–4 खूँटा –20 खूँटा प्रति मानव दिवस (ढुलाई सहित)		0.20	44.32	15.00	**59.32**	
छ	जाफरी हेतु			0.00		**0.00**	
	(1) तार 100 ग्राम (67/– रू. प्रति किलोग्राम)		0.00	0.00	6.70	**6.70**	
	(2) कांटी 300 ग्राम (69/– रू. प्रति किलोग्राम)		0.00	0.00	20.70	**20.70**	
2	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 2"x2"x2" आकार का गड्ढा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना		0.17	37.67	0.00	**37.67**	
	योग		**2.07**	**458.73**	**378.40**	**837.13**	
(B)	**वित्तीय वर्ष 2017–18 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 254.85 (वृद्धि 15%)**						
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित		0.00	0.00	20.00	**20.00**	पौधों का क्रय विभागीय लम्बे पौधों की नर्सरी से किया जाएगा।
2	गड्ढे में डालने हेतु बालू एवं गोवर खाद का क्रय एवं मिश्रण बनाना ;1बजि बालू, बजि वर्णित कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)		0.15	38.23	20.00	**58.23**	
3	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)		0.10	25.49	2.00	**27.49**	
4	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम– 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीयः 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीयः 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव		0.15	38.23	4.50	**42.73**	
5	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)		0.50	127.43	25.00	**152.43**	
6	सुरक्षा		0.50	127.43	0.00	**127.43**	
7	साईन–बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग प्रति गैबियन		0.00	0.00	20.00	**20.00**	
	योग		**1.40**	**356.79**	**91.50**	**448.29**	
(C)	**वित्तीय वर्ष 2018–19 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 293.08 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2017–18 को आधार मानते हुए**						

1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम– 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीयः 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीयः 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव		0.15	43.96	4.50	**48.46**	
2	पटवन (रिक्शा / ठेला द्वारा)		0.50	146.54	5.00	**151.54**	
3	बाँस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा		0.50	146.54	60.00	**206.54**	
	योग		**1.15**	**337.04**	**69.50**	**406.54**	
(D)	वित्तीय वर्ष 2019–20 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 337.04 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2018–19 को आधार मानते हुए						
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम– 5ग्रा. युरिया 5ग्राम कीटनाशक; द्वितीयः 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीयः 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव		0.15	50.56	4.50	**55.06**	
2	पटवन (रिक्शा / ठेला द्वारा)		0.50	168.52	5.00	**173.52**	
3	बाँस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा		0.50	168.52	60.00	**228.52**	
	योग		**1.15**	**387.60**	**69.50**	**457.10**	
	कुल योग		**5.77**	**1540.16**	**608.90**	**2149.06**	

25/11/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : कंटीले तार से घेरान के साथ पथतट रोपण (Multi Row with barbed wire fencing)

स्पेसिंग { पंक्ति से पंक्ति की दूरी–3 मी0
पौधे से पौधे की दूरी–3 मी0

प्रति कि0मी0 पौधों की संख्या–2000 पौधे

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	सामग्री (रू0 में)	मजदूरी (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
क	**वित्तीय वर्ष 2016–17 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 221.61**					
1	**घेरान कार्य**					
क	खूँटा 1550 सं0 60.42 रु0 प्रति खूँटा। खूँटे का आकार 100mm dia (व्यास) एवं 02 मी0 लम्बाई का।	प्रति कि0मी0 दोनो तरफ के लिए	0.00	93651.00	0.00	93651.00
ख	कंटीला तार 4point 2ply 12swg, 15cm apart 3.75 मैं0 टन, 64.32 रु0 प्रति कि0 ग्राम की दर से	प्रति कि0मी0 दोनो तरफ के लिए	0.00	241200.00	0.00	241200.00
ग	कोलतार (बीटुमीन पेन्ट) 100 ली0। 56.01 रु0 प्रति ली0 की दर से (खूँटों के लिए)	प्रति कि0मी0 दोनो तरफ के लिए	0.00	5601.00	0.00	5601.00
घ	यू–नेल 140 कि0 ग्रा0। 74.38 रु0 प्रति कि0 ग्रा0 की दर से	प्रति कि0मी0 दोनो तरफ के लिए	0.00	10413.20	0.00	10413.20
ङ	खूँटा एवं तार की कार्य स्थल तक ढुलाई, खूँटा रंगाई, खूँटा लगाने के लिए गड्ढा खोदना (1'x1'x1'), खूँटा लगाना, 05 कतार तार खींचना एवं यू–नेल लगाना।	प्रति कि0मी0 दोनो तरफ के लिए	1650.00	0.00	365656.50	365656.50
2	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 45cmx45cmx45cm आकार का गड्ढ़ा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना, @ 0.10 मानव दिवस प्रति गड्ढ़ा	2000 गड्ढ़ा	200.00	0.00	44322.00	44322.00
	योग :–		**1850.00**	**350865.20**	**409978.50**	**760843.70**
ख	**वित्तीय वर्ष 2017–18 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 254.85 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2016–17 को आधार मानते हुए**					
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित @ Rs. 20 प्रति पौधा	2200 पौधा	0.00	44000.00	0.00	44000.00
2	पौधा रोपण	प्रति कि0 मी0	45.00		11468.25	11468.25
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	प्रति कि0 मी0	50.00	0.00	12742.50	12742.50
4	पौधों की सुरक्षा	प्रति कि0 मी0	120.00	0.00	30582.00	30582.00
5	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	प्रति कि0 मी0	0.00	3150.00	0.00	3150.00
6	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	प्रति कि0 मी0	0.00	300.00	0.00	300.00
7	पटवन, आवश्यकतानुसार		180.00	0.00	45873.00	45873.00
	योग :–		**395.00**	**47450.00**	**100665.75**	**148115.75**
ग	**वित्तीय वर्ष 2018–19 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 293.08 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2017–18 को आधार मानते हुए**					
1	एक कोड़नी–निकौनी	प्रति कि0 मी0	28.00	0.00	8206.24	8206.24
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	प्रति कि0 मी0	0.00	1368.00	0.00	1368.00
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति कि0 मी0	180.00	0.00	52754.40	52754.40
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन (लगभग 10 प्रतिशत मृत पौधों का प्रतिस्थापन)	200 पौधा	4.00	4000.00	1172.32	5172.32
	योग :–		**212.00**	**5368.00**	**62132.96**	**67500.96**

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	सामग्री (रू0 में)	मजदूरी (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
घ	**वित्तीय वर्ष 2019–20 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 337.04 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2018–19 को आधार मानते हुए**					
1	एक कोड़नी–निकौनी	प्रति कि0 मी0	28.00	0.00	9437.12	9437.12
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	प्रति कि0 मी0	0.00	1368.00	0.00	1368.00
3	घेरान की मरम्मत (लगभग 10 प्रतिशत खूँटों के बदलाव एवं अन्य सामग्री सहित)	प्रति कि0 मी0	0.00	10000.00	0.00	10000.00
4	सुरक्षा पर व्यय	प्रति कि0 मी0	90.00	0.00	30333.60	30333.60
	योग :–		**118.00**	**11368.00**	**39770.72**	**51138.72**
ड.	**वित्तीय वर्ष 2020–21 में संपोषण कार्य (पंचम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 387.60 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2019–20 को आधार मानते हुए**					
1	एक कोड़नी–निकौनी	प्रति कि0 मी0	28.00	0.00	10852.80	10852.80
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया, जैविक खाद, कीटनाशक आदि)	प्रति कि0 मी0	0.00	1368.00	0.00	1368.00
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति कि0 मी0	90.00	0.00	34884.00	34884.00
4	घेरान को हटाना एवं सुरक्षित स्थान पर परिवहन एवं भण्डारण (वित्तीय वर्ष के अन्त में)	प्रति कि0 मी0	165.00	5000.00	63954.00	68954.00
	योग :–		**283.00**	**6368.00**	**109690.80**	**116058.80**
	सकल योग :–		**2858.00**	**421419.20**	**722238.73**	**1143657.93**

25/11/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

F:\DEVELOPMENT\2016-17\Allotment\OA\RSP\Advance work (6)\RSP Advance work (2016-17)-2

अनुलग्नक–2 (ग)

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर प्रति हे0

योजना का नाम– अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण गैर–वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी0 X 2 मी0)

क्र0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू० में)	सामग्री (रू० में)	कुल व्यय (रू० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2016–17 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस – रू0 221.61						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे0	3.00	664.83	0.00	664.83	
2	सामान्य झाड़ी	हे0	7.00	1551.27	0.00	1551.27	
3	**ट्रेंच घेरान** – ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी., नीचे की चौड़ाई 1.22 मी., गहराई 1.22 मी. ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)	4 चेन प्रति हे0	100	22161.00	0.00	22161.00	यदि पूर्व में वृक्षारोपण के कारण ट्रेंच खोदी गयी है तो ट्रेंच भरने के कारण जितने मात्रा में खोदी जानी है उसी अनुपात में मानव दिवस समायोजित होंगे। मजदूरों से कार्य कराने के प्रावधान करने के समय वन संरक्षक का यह दायित्व होगा कि मशीन का कदापि प्रयोग न हों।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 1666 पिट प्रति हे0 (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे0	36.50	8088.77	0.00	8088.77	
5	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	हे0	16.50	3656.57	0.00	3656.57	
6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)		0.00	0.00	2240.00	2240.00	
7	मृदा एवं जल संरक्षण–गली प्लगिग / सिल्ट रिटेंशन डेम / कंटूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	हे0	45	9972.45	0.00	9972.45	
8	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य	हे0	75.25	16676.15	1376.61	18052.76	
	योग :–		**283.25**	**62771.03**	**3766.61**	**66537.64**	
(B)	वित्तीय वर्ष 2017–18 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस – रू0 254.85 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2016–17 को आधार मानते हुए						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	21.50	5479.28	0.00	5479.28	
2	वृक्षारोपण	हे0	36.50	9302.03	0.00	9302.03	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे0	41.50	10576.28	0.00	10576.28	
4	ट्रेंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हे0	2.00	509.70	0.00	509.70	
5	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक)	हे0	9.16	2334.43	0.00	2334.43	
	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक)						
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	2365.00	2365.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
	योग :–		**110.66**	**28201.70**	**2515.00**	**30716.70**	
(C)	वित्तीय वर्ष 2018–19 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस – रू0 293.08 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2017–18 को आधार मानते हुए						
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हे0	23.00	6740.84	0.00	6740.84	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1892.40	1892.40	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक)	हे0	12.16	3563.85	0.00	3563.85	
	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक)			0.00			
4	गड्ढा घेरान की मरम्मत	हे0	4.00	1172.32	0.00	1172.32	

क्र0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू० में)	सामग्री (रू० में)	कुल व्यय (रू० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0	3.00	879.24	290.00	1169.24	
	योग :–		**42.16**	**12356.25**	**2182.40**	**14538.65**	
(D)	वित्तीय वर्ष 2019–20 में सपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 337.04 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2018–19 को आधार मानते हुए						
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हे0	23.00	7751.92	0.00	7751.92	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1300.00	1300.00	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक)	हे0	12.16	4098.41	0.00	4098.41	
	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक)			0.00			
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0	3.00	1011.12	290.00	1301.12	
	योग :–		**38.16**	**12861.45**	**1590.00**	**14451.45**	
(E)	वित्तीय वर्ष 2020–21 में सपोषण कार्य (पंचम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 387.60 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2019–20 को आधार मानते हुए						
1	एक कोड़नी–निकौनी	हे0	23.00	8914.80	0.00	8914.80	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	500.00	500.00	
3	पौधों की सुरक्षा (60 हे0 तक)	हे0	12.16	4713.22	0.00	4713.22	
4	घेरान की मरम्मत	हे0	4.00	1550.40	0.00	1550.40	
	योग :–		**39.16**	**15178.42**	**500.00**	**15678.42**	
(F)	वित्तीय वर्ष 2021–22 में सपोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 445.74 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2020–21 को आधार मानते हुए						
1	पौधों की सुरक्षा (60 हे0 तक)	हे0	12.16	5420.20	0.00	5420.20	
	योग :–		**12.16**	**5420.20**	**0.00**	**5420.20**	
(G)	वित्तीय वर्ष 2022–23 में सपोषण कार्य (सप्तम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 512.60 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2021–22 को आधार मानते हुए						
1	पौधों की सुरक्षा (60 हे0 तक)	हे0	12.16	6233.22	0.00	6233.22	
	योग :–		**12.16**	**6233.22**	**0.00**	**6233.22**	
	सकल योग :–		**537.71**	**143022.26**	**10554.01**	**153576.27**	

(हस्ताक्षर) 25/11/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-10/2016/1462 दिनांक - 25-Nov-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	58725	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	2,523,000.00 रुपये पच्चीस लाख तेइस हजा
2	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	58726	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	2,523,000.00 रुपये पच्चीस लाख तेइस हजा
3	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	58727	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICEI	2,523,000.00 रुपये पच्चीस लाख तेइस हजा

योग: 7,569,000.00

क्रमिक योग: रुपये पचहत्तर लाख उनहत्तर हजार

25/11/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

 172.16.20.1 Run Date: 25/11/2016

पत्र संख्या - 01/YB-10/2016/1462 दिनांक - 25-Nov-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	58728	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	2,523,000.00 रुपये पच्चीस लाख तेइस हजा
5	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	58729	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	6,622,700.00 रुपये छाछठ लाख बाइस हजार सात सौ
6	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	58730	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	6,622,800.00 रुपये छाछठ लाख बाइस हजार आठ सौ
7	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	58731	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	1,834,900.00 रुपये अठारह लाख चौतीस हजार नौ सौ

योग: 17,603,400.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड इकावन लाख बहत्तर हजार चार सौ 25,172,400.00

25/11/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	58732	HZBFWL007 SHREE BHAGWAN MISHRA, I.F.S. D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	2,523,000.00 रुपये पच्चीस लाख तेइस हजार
9	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	58733	KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	2,523,000.00 रुपये पच्चीस लाख तेइस हजार
10	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	58734	LTRFOR004 RAMESH PRASAD SINGH D.F.O. SFD LATEHAR	7,707,800.00 रुपये सित्योत्तर लाख सात हजार आठ सौ
11	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	58735	DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR	5,938,300.00 रुपये उनसठ लाख अडतीस हजार तीन सौ

योग: 18,692,100.00

क्रमिक योग: रुपये चार करोड अडतीस लाख चौसठ हजार पाँच सौ 43,864,500.00

25/11/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-10/2016/1462 दिनांक - 25-Nov-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	58736	DMKFOR003 SRI ARUN KISPOTTA D.F.O.S.F.DIVDUMKA	12,993,900.00 रुपये एक करोड उन्तीस लाख तिरनावे हजार नौ सै
13	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	58737	DMKFOR004 SRI KALI KINKER D.F.O.W.F.P.DUMKA	917,500.00 रुपये नौ लाख स त्र ह हजार पॉच सै
14	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	58738	DRNFWL004 BIMAL LAKRA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	3,211,100.00 रुपये बत्तीस लाख ग्यारह हजार एक सै
15	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	58739	JSRFOR116 SHIV KR PRASAD D.F.O.ADITYAPUR S.F.DIV.JSR.	2,293,700.00 रुपये बाइस लाख तिरनावे हजार सात सै

योग: 19,416,200.00

क्रमिक योग: रुपये छः करोड बत्तीस लाख अस्सी हजार सात सौ 63,280,700.00

25/11/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	58740	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	2,064,300.00 रुपये बीस लाख चौसठ हजार तीन सं
17	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	58741	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	6,261,700.00 रुपये बासठ लाख इकसठ हजार सात सं
18	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58745	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	2,081,200.00 रुपये बीस लाख इक्कयासी हजार दो सं
19	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58746	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	2,081,200.00 रुपये बीस लाख इक्कयासी हजार दो सं

योग: 12,488,400.00

क्रमिक योग: रुपये सात करोड सत्तावन लाख उनहत्तर हजार एक सौ 75,769,100.00

25/11/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCHI

 Run Date: 25/11/2016

पत्र संख्या - 01/YB-10/2016/1462 दिनांक - 25-Nov-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
20	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58747	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	2,081,200.00 रुपये बीस लाख इक्कयासी हजार दो सौ
21	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58748	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	2,081,200.00 रुपये बीस लाख इक्कयासी हजार दो सौ
22	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58750	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	5,589,900.00 रुपये पचपन लाख नवासी हजार नौ सौ
23	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58752	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	5,589,800.00 रुपये पचपन लाख नवासी हजार आठ सौ

योग: 15,342,100.00

क्रमिक योग: रुपये नौ करोड ग्यारह लाख ग्यारह हजार दो सौ 91,111,200.00

25/11/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
24	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58753	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	1,513,600.00 रुपये पंद्रह लाख तेरह हजार छः सौ
25	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58754	HZBFWL007 SHREE BHAGWAN MISHRA, I.F.S. D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	2,081,200.00 रुपये बीस लाख इक्कयासी हजार दो सौ
26	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58756	KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	2,081,200.00 रुपये बीस लाख इक्कयासी हजार दो सौ
27	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58759	LTRFOR004 RAMESH PRASAD SINGH D.F.O. SFD LATEHAR	470,800.00 रुपये चार लाख सत्तर हजार आठ सौ

योग: 6,146,800.00

क्रमिक योग: रुपये नौ करोड बहत्तर लाख अठावन हजार 97,258,000.00

25/11/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-10/2016/1462 दिनांक - 25-Nov-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58760	DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR	2,458,700.00 रुपये चौइस लाख अठावन हजार सात सौ
29	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58763	DMKFOR003 SRI ARUN KISPOTTA D.F.O.S.F.DIVDUMKA	2,840,500.00 रुपये अठाइस लाख चालीस हजार पॉच सौ
30	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58764	DMKFOR004 SRI KALI KINKER D.F.O.W.F.P.DUMKA	756,800.00 रुपये सात लाख छप्पन हजार आठ सौ
31	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58765	DRNFWL004 BIMAL LAKRA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	2,648,800.00 रुपये छब्बीस लाख अडतालीस हजार आठ सौ

योग: 8,704,800.00

क्रमिक योग: रुपये दस करोड उनसठ लाख बासठ हजार आठ सौ 105,962,800.00

25/11/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCHI

 172.16.20.1 Run Date: 25/11/2016

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
32	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58766	JSRFOR116 SHIV KR PRASAD D.F.O.ADITYAPUR S.F.DIV.JSR.	1,892,000.00 रुपये अठारह लाख बयानवे हजा
33	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58767	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	1,702,800.00 रुपये स त्र ह लाख दो हजार आठ सै
34	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58768	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	376,700.00 रुपये तीन लाख छहत्तर हजार सात सै

योग: 3,971,500.00

क्रमिक योग: रुपये दस करोड निन्नानवे लाख चौतीस हजार तीन सौ 109,934,300.00

25/11/2016

(SHRI Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI